(वाद सं0–2277/4/32/2021)

13.07.2022

नोटिस के बावजूद भी परिवादी, फुल कुमारी देवी, उपस्थित नहीं है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, फुल कुमारी देवी, की पुत्रवधु, सोनिया देवी, को आशा कार्यकर्त्ता, निर्मला देवी, द्वारा सरकारी अस्पताल में ईलाज कराने का प्रलोभन देकर हाजीपुर स्थित सूर्या क्लीनिक में बंध्याकरण ऑपरेशन कराने तथा इस क्रम में उसकी मृत्यु हो जाने के कारण संबंधित आशा कार्यकर्त्ता पर कार्रवाई किये जाने तथा मुआवजा राशि के भुगतान से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि दिनांक–07.01.2021 को आशा कार्यकर्त्ता, निर्मला देवी, उसकी पुत्रवधु, सोनिया देवी, को सरकारी अस्पताल में बंध्याकरण कराने का प्रलोभन देकर सूर्या क्लीनिक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर ले जाकर जबरदस्ती पैसे के लालच में बंध्याकरण ऑपरेशन करा दी, जिससे अगली सुबह उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु की सूचना मिलने पर जब परिवादी, सूर्या क्लीनिक अस्पताल गयी तो एकरारनामा पेपर पर उसे 01 लाख रुपये तथा अंत्येष्टि खर्च के रुप में 15हजार रुपये का भुगतान किया गया तथा क्लीनिक द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि क्षतिपूर्ति की शेष 02 लाख रुपये की राशि का भुगतान संबंधित NGO द्वारा यथाशीघ्र कर दिया जायेगा। लेकिन आज तक उसे दो लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, वैशाली से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, वैशाली के प्रतिवेदनानुसार सूर्या क्लीनिक एक एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलता है, जहां बंध्याकरण का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक–01.01.2021 को परिवादी की पुत्रवधु, सोनिया देवी का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद सोनिया देवी जीवित थी, लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी तबीयत खराब हो गयी, जिस कारण

उसे पी0एम0सी0एच0, पटना रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश सोनिया देवी की मृत्यु हो गयी। सोनिया देवी की मृत्यु की सूचना पर उसके परिजन तथा ग्रामीणों द्वारा हंगामा कर मुआवजा के भुगतान की मांग किया जाने लगा। सूर्या क्लीनिक द्वारा तत्क्षण परिवादी को 01लाख रुपये नगद तथा दाह संस्कार के लिये 15हजार रुपये नगद भुगतान किया गया तथा एक एकरारनामा तैयार किया गया जिसमें भारत सरकार के Family Planning Indemnity Scheme के तहत 02लाख रुपये मुआवजा दिलवाने का उल्लेख है। जब सूर्या क्लीनिक द्वारा परिवादी से Family Planning Indemnity Scheme के अन्तर्गत मुआवजा से संबंधित दावा वाले कागजात पर हस्ताक्षर करने का परिवादी से अनुरोध किया गया तो उसके द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया गया, जिस कारण तीन माह की समय सीमा के भीतर मुआवजे राशि हेतु नियमानुसार आवेदन नहीं किया जा सका। प्रतिवेदनानुसार संबंधित आशा कार्यकर्त्ता के विरूद्ध परिवादी द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली के न्यायालय में एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया है। न्यायालय के आदेश पर प्रसंगाधीन मामले में संबंधित आशा कार्यकर्त्ता व सूर्या क्लीनिक के प्रबंधक के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 406/ 420/ 304/120(बी) के अन्तर्गत नगर थाना, हाजीपुर, कांड संख्या–833/2021, दिनांक–16.10.2021 संस्थित किया गया है, जो वर्त्तमान में अन्वेषणार्न्तगत है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि पुलिस द्वारा उपरोक्त कांड का निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है तथा उसकी ओर से इस संबंध में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली के न्यायालय में अनुसंधान के संबंध में विरोध पत्र भी दाखिल किया गया है।

परिवादी की ओर से अपने परिवाद पत्र के साथ सूर्या क्लीनिक (अस्पताल), नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर के प्रबंधक, संतोष कुमार आजाद, के द्वारा निष्पादित एकरारनामा की प्रति दाखिल की गयी है जिसमें संतोष कुमार आजाद द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि ‘‘**मृतक के परिजन को एन0जी0ओ0 के माध्यम से तत्काल 01लाख रुपये की राशि दी गयी एवं एन0जी0ओ0 के माध्यम से एक महीना**

के अन्दर सहायता राशि 02लाख रुपया अगर नहीं मिलता है तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए मृतक के परिजन स्वतंत्र है। परिजन के द्वारा जो कागजात मांगा जायेगा, वह समय पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपरोक्त एकरारनामा में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भारत सरकार के Family Planning Indemnity Scheme के तहत 02लाख रुपये मुआवजा दिलवाया जायेगा, जिसका उल्लेख पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले में सूर्या क्लीनिक, नवीन सिनेमा रोड, हाजीपुर से संबंधित एन0जी0ओ0 को एकरारनामा के शर्त्तो के अनुसार यथाशीघ्र 02लाख रुपया आदेश पारित होने के तीन माह के अन्दर मृतक के आश्रित को अनुग्रह सहायता के रूप में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अगर उपरोक्त अवधि में मृतक के आश्रित को उक्त एन0जी0ओ0 द्वारा एकरारनामा के शर्त्तो के अनुसार 02लाख रुपया अनुग्रह सहायता का भुगतान नहीं किया जाता है तो परिवादी उक्त राशि को विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूलने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी के परिवाद पत्र (पृ0–3–1/प0), उक्त पर पुलिस अधीक्षक, वैशाली के प्रतिवेदन (पृ0–11–10/प0) की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को भेजते हुए उक्त पत्र की एक प्रति सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, वैशाली, हाजीपुर व परिवादी को भी भेजी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>